SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

समान हितों के महत्व का सिद्धान्त और पशु नीतिशास्त्रः पीटर सिंगर के विशेष संदर्भ में

दिवाकर कुमार पाण्डेय, Ph.D., दर्शनशास्त्र विभाग
बी. डी. कॉलेज, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
दिवाकर कुमार पाण्डेय, Ph.D.

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/02/2024
Revised on : -----
Accepted on : 10/04/2024
Overall Similarity : 03% on 02/04/2024

शोध सार

हितों के एकसमान महत्व देने का सिद्धान्त (Equal Consideration of Interest) समता के सिद्धान्त का बुनियादी आधार है। यदि सभी व्यक्तियों के हितों को एकसमान मानने वाले सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्यों के अंतर्गत विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद भी सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन करना अनिवार्य हो जाएगा। उपरोक्त सिद्धान्त को यदि मनुष्यों के लिए स्वीकार कर लिया जाए तो इसे मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे गैरमानव पशुओं पर भी लागू करना होगा। मनुष्य की एक प्रवृति है, जिसके अनुसार वह गैरमानव पशुओं से संबंधित मुद्दों को अपने से संबंधित मुद्दों की अपेक्षा कम ध्यान देता है, और पशुओं का अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रयोग को अपना अधिकार समझता है, और इस प्रकार स्पीशीजवाद को बढ़ावा देता है। पीटर सिंगर ने अपनी पुस्तक एनिमल लिबरेशन में इस बात पर बल दिया है कि पशुओं के हितों को मनुष्य के हितों के मुकाबले बराबर महत्व दिया जाए। इसके लिए सिंगर युक्ति (Argument) देते हैं, और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मनुष्य के द्वारा पशुओं के हितों की अनदेखी किया जाना एक लेकप्रिय पूर्वाग्रह मात्रा है। उनके अनुसार नैतिक समानता की स्थापना के लिए समानता के सिद्धान्त को गैरमानव पशुओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द

नैतिक समानता, पशु नीतिशास्त्र, उचित, अनुचित.

पशु नीतिशास्त्र के अंतर्गत पशुओं के प्रति मानव व्यवहार से संबंधित बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया जाता है, यथा–मनुष्यों के द्वारा पशुओं के प्रति कैसा

व्यवहार किया जाना चाहिए।[1] पीटर सिंगर एक प्रसिद्ध नैतिक चिंतक हैं, 1979 में उन्होंने एनिमल लिबरेशन नामक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में सिंगर ने समानता के सिद्धान्त को स्पीशीज से आगे ले जाने की वकालत की है।

सिंगर की राय में, सबके हितों (Interest) को एकसमान महत्व प्रदान करने संबंधित सिद्धान्त समानता के सिद्धान्त का सबसे मूलभूत आधर है। विभिन्न मनुष्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जैसे–नस्ल और सेक्स संबंधी भिन्नताएँ। इन सबके बावजूद भी सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया जाता है। सिंगर के अनुसार, मनुष्यों के लिए समता के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद हमारी यह प्रतिबद्धता हो जाती है कि इसे गैरमानव पशुओं पर भी लागू किया जाए।[2]

नैतिक समानता और तथ्यपरक समानता में भिन्नता है। परंपरागत तौर पर, समानता के सिद्धान्त के अंतर्गत यह माना जाता है कि जो समान हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। मनुष्यों में भिन्नताएँ प्राकृतिक होती हैं, बौद्धिक क्षमता और योग्यता के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद समानता के सिद्धान्त का यह तकाजा है कि सभी मनुष्यों के हितों को एकसमान महत्व दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बौद्धिक रूप से अधिक क्षमतावान है, तो उसे कम बौद्धिक क्षमता वाले दूसरे व्यक्ति के शोषण का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है।[3] हितों के एकसमान महत्व देने वाले सिद्धान्त को यदि गैरमानव पशुओं तक विस्तारित किया जाए तो यह स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि बौद्धिक रूप से कम सशक्त पशुओं के शोषण का अधिकार मनुष्यों को नहीं मिलना चाहिए। नैतिक समानता की यह बुनियादी माँग है कि सभी प्राणियों के हितों को एक समान महत्व दिया जाए। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मानव द्वारा गैरमानव पशुओं का अपनी सुविधा के लिए उपयोग नैतिक दृष्टि से अनुचित है, तथा नैतिक समानता के सिद्धान्त का विरोधाभासी भी है।

मनुष्य और गैरमानव पशुओं के बीच मुख्यतः मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के आधार पर अंतर किया जाता है। मनुष्यों के अंदर स्व–चेतना, बौद्धिकता, स्वायत्तता, भाषायिक प्रयोग की क्षमता, संकल्प स्वातंत्रय आदि मनोवैज्ञानिक क्षमताएँ मौजूद होती हैं, जो गैरमानव पशुओं में नहीं पाई जाती हैं। आमतौर पर, यह देखा जाता है कि कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं, जिनके अंदर इन मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अभाव देखा जाता है, या उन मनुष्यों के अंदर मनोवैज्ञानिक क्षमताएँ उतनी ही मात्रा में मौजूद होती हैं, जितनी पशुओं के अंदर होती है। अपेक्षाकृत कम या गैरमानव पशुओं के बराबर मनोवैज्ञानिक क्षमताओं वाले मनुष्यों की नैतिक स्थिति को किसी भी रूप में पशुओं से बेहतर नहीं ठहराया जा सकता है।[4]

अतः, यह विश्वास कि मानव समुदाय की नैतिक स्थिति गैरमानव पशुओं के मुकाबले केवल इसलिए बेहतर हैं कि उनकी मनोवैज्ञानिक क्षमताएँ पशुओं के मुकाबले श्रेष्ठ हैं, अयुक्तिसंगत है।

सिंगर ने हितों को समान महत्व देने वाले सिद्धान्त को स्पष्ट किया है। उनकी राय में, यह इस सिद्धान्त में अंतर्निहित है कि दूसरों के प्रति हमारी चिंताओं को इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर कौन–कौन सी योग्यताएँ हैं। इस आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि श्वेत लोगों के द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण का आधिकार केवल इसलिए नहीं मिल जाता कि वे उनकी नस्ल के नहीं हैं, या जो लोग कम बुद्धिमान हैं, इसका अर्थ यह है नहीं है कि उनके हितों की अवहेलना की जाए। बिल्कुल इसी प्रकार, समान हितों के महत्व के सिद्धान्त में यह अंतर्निहित है कि जो जीव हमारे स्पीशीज के नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उनके हितों की अवहेलना करनी चाहिए।[5]

सिंगर की राय में, मनुष्यों द्वारा अपने हितों के मुकाबले पशुओं के हितों को गंभीरता से नहीं लेना एक प्रकार का लोकप्रिय पूर्वाग्रह है।[6] यह पूर्वाग्रह श्वेत गुलाम मालिकों द्वारा अपने अश्वेत गुलामों के हितों की गंभीरता से न लेने के उनके पूर्वाग्रह की तरह ही है। नस्लवादी उस समय समता के बुनियादी सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं, जब वे अपने और दूसरे अन्य नस्ल के हितों के बीच टकराहट होने की स्थिति में अपने नस्ल के सदस्यों के हितों को अध्कि महत्व देते थे। श्वेत नस्लवादी लोग अश्वेत अफ्रीकन गुलामों के हितों को उतना महत्व नहीं देते थे जितना श्वेत यूरोपीय लोगों के हितों को। मानव स्पीशीजवादी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि जब दर्द किसी पशु

द्वारा महसूस किया जाए तब भी उतना ही बुरा होता है, जितना मनुष्य द्वारा अनुभव किए जाने पर।

जेरेमी बेन्थम के अनुसार ''प्रत्येक केवल एक है और कोई भी एक से अध्कि नहीं है।'' बेन्थम का यह कथन हितों के समान महत्व को इंगित करता है। बेन्थम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख मिलन चाहिए, साथ ही प्रत्येक को उतना ही सुख प्राप्त करने का अधिकार है, जितना उसके हिस्से में संभव है, अन्य दूसरे व्यक्ति का सुख छीनने का अध्किार नहीं है। बेंथम ने सुख के आयाम बताए हैं, उनमें विस्तार भी है। सुख का विस्तार मनुष्यों में अतिरिक्त अन्य जीवों तक भी होना चाहिए। उसी प्रकार, नैतिक समानता का विस्तार भी गैरमानव पशुओं तक होना चाहिए।[7]

आधुनिक शहरीकरण के दौर में अधिकांश मनुष्यों का पशुओं के साथ सम्पर्क उनके खाने के मेज पर भोजन के रूप में होता है। भोजन के रूप में पशुओं का प्रयोग करना पशुओं का सबसे प्राचीन और बृहत प्रयोग है।[8] इसके नेपथ्य में मनुष्य की मानवकेन्द्रित अवधरणा है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर समस्त वस्तुएँ मानव के हितों को पूर्ण करने के लिए ही हैं।

पशुओं का भोजन के रूप में प्रयोग के संदर्भ में पीटर सिंगर का मानना है कि हमारा पशुओं के प्रति दृष्टिकोण बनना तब प्रारंभ होता है, जब हम छोटी उम्र में माँस खाना आरम्भ करते हैं। इस संदर्भ में दिलचस्प तथ्य यह है कि अधिकांश बच्चे प्रारंभ में माँस खाने में रूचि नहीं दिखाते हैं। माँ–बाप के लगातार प्रयत्न के बाद उनमें से अधिकांश माँस खाने के अभ्यस्त हो जाते हैं, और धीरे–धीरे यह धारणा बन जाती है कि माँस खाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि माँसाहार की प्रवृति का समाजिक अनुकूलन होना एक लंबे आहार–व्यवहार से प्रभावित है, न कि हमारे चेतना से प्रभावित निर्णय।[9] इस संदर्भ में सिंगर की राय है कि यदि पशुओं के हितों के महत्व को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्य द्वारा पशु का माँस के रूप में प्रयोग पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में पशु माँस का प्रयोग आवश्यकता से अध्कि विलासिता को इंगित करता है।[10] पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मारना हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या पशु हमारे लिए महज वस्तु हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकें।

परंपरागत रूप से विभिन्न ध्र्मों में पशुओं के मानव हित में प्रयोग को धार्मिक दृष्टि से उचित माना गया है। बाइबिल के सृष्टि–प्रकरण में कहा गया है:

Let us make man in our image,
in our likness, and
let them rule over the fish of the sea
and the birds of the air, over the
livestock, over all the creatures that
move along the ground.[11]

यूनानी विचारक अरस्तू ने भी कहा है– पेड़–पौधे, जीव–जंतुओं के लिए हैं, तथा जीव–जंतु मनुष्य के लिए। एक्विनास ने इस संदर्भ में बाइबिल तथा अरस्तू के विचारों का समर्थन करते हुए कहा है– ''पाप केवल ईश्वर तथा मानव समुदाय के प्रति किए गए कर्मों के माध्यम से ही किया जा सकता है, पशुओं तथा भौतिक जगत् के वस्तुओं के प्रति किए गए कर्मों के माध्यम से नहीं।'' इस संदर्भ में यहाँ यह कहा जा सकता है कि पशुओं तथा मनुष्यों के बीच बौद्धिक समानता नहीं होने पर भी दोनों में संवेदनशीलता अवश्य पाई पाई जाती है, दोनों में अस्तित्व को कायम रखने की प्रवृति भी पाई जाती है।[12] मनुष्य केवल व्यक्तित्व के कारण अधिमानता में पशुओं से उपर समझा जाता है, इस कारण मात्रा से पशुओं का खाद्यपरक इस्तेमाल को किसी रूप में उचित नही माना जा सकता है। माइकल टूली ने अपनी पुस्तक एर्बासन एण्ड इन्पफैन्टिसाइड में कहा है–फ्किसी को उसके किसी प्रकार के अधिकार से वंचित रखना उसकी अधिकार संबंधी इच्छा को पूरित नहीं होने देता है।[13]

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पशु अधिकार को सम्यक रूप से तभी स्थापित किया जा सकता है, जब समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के महान सिद्धान्त को स्पीशीज से आगे ले जा कर गैरमानव पशुओं तक विस्तारित किया जाए, इसके लिए समान महत्व के हितों के सिद्धान्त को पशुओं के लिए लागू करना होगा। मनुष्य को पशुओं के प्रति अपने परंपरागत दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। नैतिकता के नियम तर्कसंगत एवं सार्वभौमिक होते हैं। पशुओं के हितों को मनुष्य के हितों के समान महत्व देना तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि पशु भी मनुष्य के समान संवेदनशील होते हैं, कष्ट या पीड़ा का अनुभव भी करते हैं। वसुधैव कटुम्बकम् की अवधरणा में सार्वभौमिकता का भाव है, और वसुधैव कटुम्बकम् की स्थापना सही अर्थों में तभी संभव है, जब पशुओं के हितों को भी महत्व दिया जाए। समान हितों के महत्व के सिद्धान्त को पशुओं तक विस्तारित करने के लिए पीटर सिंगर ने जो युक्ति दी है, वो वैध् युक्ति है।

संदर्भ सूची

1. रमेन्द्र, (2015) *अधिनीतिशास्त्रा एवं व्यावहारिक नीतिशास्त्रा;* मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ. 224।
2. Peter Singer, (2011) *Practical Ethics,* Second Edition, Cambridge University Press, New Dehi, p. 50-51.
3. Peter Singer, (1975) *Animal Liberation,* Harper Collins, New York, p. 36.
4. R.G. Frey (ed.), (2005) *A Companion to Applied Ethics.* Blackwell Publishing, Oxford, p. 525-526.
5. रमेन्द्र, (2015) *अधिनीतिशास्त्र एवं व्यावहारिक नीतिशास्त्रा,* मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, पृ. 255।
6. Peter Singer, (2011) *Practical Ethics,* Cambridge University Press, New Delhi, p. 58.
7. Peter Singer, (2020) *Why Vegan?* Liveright Pub Copr, New York.
8. Peter Singer, (2011) Practical Ethics, Cambridge University Press, New Delhi, p. 62-63.
9. Peter Singer, (1975) Animal Liberation, Cambridge University Press, New Delhi, p. 259-260.
10. Peter Singer, (2011) Practical Ethics, Cambridge University Press, New Delhi, p. 62-63.
11. Gen 1: 26-29.
12. नित्यानंद मिश्र, (2014) *नीतिशास्त्र, सिद्धान्त एवं व्यवहार,* मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली पृ. 37।
13. Michal Tooley (1985) *Abortion and Infanticide,* Oxford University Press, New York.

****